भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2792

6 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

वैज्ञानिक अनुसंधान में आरक्षित श्रेणियों की भागीदारी

2792. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट नीतियां बनाई और कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए वर्ष-वार कुल कितना आवंटन और व्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश और वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद है; और

(घ) पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं को अपनाने में आने वाली कथित कमियों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) वैज्ञानिक अनुसंधान**,** प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग**,** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को कार्यान्वित कर रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का समानता सशक्तीकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड) प्रभाग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) के समुचित हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज के

वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु कई योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि हो रही है। सीड प्रभाग के निम्नलिखित कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है।

I. आजीविका के लिए स्थानीय नवाचारों को सुदृढ़, उन्नत और पोषित करना (सुनील) कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी वितरण और सामाजिक उद्यम निर्माण के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) की आजीविका दक्षता को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र-परीक्षणित मॉडल और स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की तैनाती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, कौशल वृद्धि, क्षमता विनिर्माण और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार को भी प्रोत्साहित करना है।

II. विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्र का उद्देश्य प्रणालीगत अन्तःक्षेप के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का समग्र विकास करना है। ये केंद्र लक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के विकास के लिए प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के पुर:स्थापन, वितरण, प्रबंधन, उपयोग और विस्तार में अंतिम चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक, नेटवर्क और साझेदारी ढांचे में स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र अन्य ज्ञान संगठनों के पास उपलब्ध अग्रणी तकनीकों का उपयोग करते हैं और लाभ भी उठाते हैं। अब तक अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।

सीड प्रभाग के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का इंस्पायर-मानक कार्यक्रम कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में विज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करते हुए सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के विचारों के माध्यम से नवाचार और रचनात्मक सोच संवर्धन को बढ़ावा दे रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 36,388 छात्रों को 10,000/- रुपये प्रति छात्र की दर से सहायता प्रदान की गई।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु परियोजना आधारित अनुसंधान वित्तपोषण सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उनकी क्षमता में वृद्धि हो और वे मुख्य अनुसंधान कार्यक्रमों में आगे बढ़ सकें। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के 503 से अधिक शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान की गई है।

एससी, एसटी समुदायों के लिए विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के अलावा, डीएसटी ने मई 2022 में वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (एसएसआर) दिशानिर्देश भी जारी किए थे, ताकि विज्ञान और समाज के एकीकरण को सुगम बनाया जा सके और विविध हितधारकों के बीच तालमेल बनाया जा सके, जिससे ओबीसी, एससी और एसटी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके। इसका उद्देश्य मौजूदा परिसंपत्तियों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग के लिए प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, ताकि समाज के वंचित, अधिकारहीन और शोषित वर्गों को उनकी क्षमता, सामर्थ्य और छिपी हुई संभावनाओं को वर्धित करके सशक्त बनाया जा सके।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डीएसटी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित कुल आवंटन और व्यय, वर्षवार निम्नानुसार है:

जनजातीय उप-योजना योजना/कार्यक्रम (टीएसपी) रुपये करोड़ में			
	वित्तीय वर्ष 2022-23	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
आवंटित निधि	82.80	57.62	98.70
व्यय	71.18	38.50	69.72
अनुसूचित जाति उप-योजना योजना/कार्यक्रम (एससीएसपी) रुपये करोड़ में			
आवंटित निधि	159.75	111.22	198.45
व्यय	133.32	69.18	154.79

इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की योजना "क्षमता विनिर्माण और मानव संसाधन विकास: डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरल अध्येतावृति" के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित शोध अध्येताओं को अध्येतावृति के भुगतान के लिए 653.051 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय किया गया है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भर्ती के लिए आरक्षण नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

(घ) केंद्र सरकार ने पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं को अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

I. विभाग ने सरकार, उद्योग, शिक्षा और समाज के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना की है। ये प्रकोष्ठ आजीविका प्रणालियों पर सूचना एकत्र करने के लिए ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें मानव, प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक और वित्तीय पूंजी के साथ-साथ स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान भी शामिल है, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के विकास के लिए विशिष्ट कार्यनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण में सहायता मिल सके। अब तक अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 11 एससी-एसटी प्रकोष्ठ स्थापित किए जा चुके हैं।

II. पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय अंतःविषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को उन्नत प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया गया।

III. युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों (एसवाईएसटी) के लिए योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में बेरोजगार युवा वैज्ञानिकों (एससी/एसटी श्रेणी से) के लिए विशेष आह्वान किया गया है, ताकि उन्हें अनुप्रयोग उन्मुख सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के अवसर प्रदान किए जा सकें।

*****